



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2025/D-38

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 246279 दिनांक 03/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Fateh Raj Meena S/o GHANSHYA M MEENA	श्री अविनाश भार्गव पुत्र श्री प्रेम चन्द भार्गव	13	261.29 SQ. YARD	Private	KAILASH COLONY Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की आवासीय योजना कैलाश कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 261.29 वर्गगज की लीजडीड श्री अविनाश भार्गव पुत्र श्री प्रेम चन्द भार्गव को जविप्रा द्वारा दिनांक 29.01.2013 को जारी की गई। श्री अविनाश भार्गव पुत्र श्री प्रेम चन्द भार्गव की मृत्यु 29.10.2019 को होने पश्चात लीजधारक श्री अविनाश भार्गव पुत्र श्री प्रेम चन्द भार्गव वारिसान श्रीमती अल्का भार्गव पुत्री स्व. श्री अविनाश चन्द भार्गव पत्नी श्री आशीष भार्गव द्वारा भूखण्ड संख्या 13 के क्षेत्रफल 261.29 व.ग. का बेचान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Fateh Raj Meena S/o GHANSHYAM MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |